न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई

(पीठासीन अधिकारीः प्रीति मीणा, आर.ए.एस.)

प्रार्थनापत्र सं0---09/2024 (जीसीएमएस नं. 2024/13)
प्रविष्टि दिनांक ---30.01.2024

डॉ. मीनाक्षी पत्नी डॉ. रामवतार जाति खटीक निवासी चैनपुरा तहसील निवाई जिला टोंक

—प्रार्थीया

बनाम

1. त्रिलोकचन्द पुत्र प्रेमचन्द जाति महाजन निवासी कस्बा निवाई तहसील निवाई टोंक
2. प्रकाशचन्द पुत्र प्रेमचन्द जाति महाजन निवासी कस्बा निवाई तहसील निवाई टोंक
3. राकेश कुमार पुत्र प्रेमचन्द जाति महाजन निवासी कस्बा निवाई तहसील निवाई टोंक
4. हुसैन खां पुत्र नन्नू खां जाति मुसलमान निवासी मानपुरा सड़वा तहसील जयपुर
5. गीता देवी पत्नी राजेश्वर यादव जाति यादव निवासी हाउस नम्बर 326 झन्डापुरा आई.ई. साहिबाबाद गाजियाबाद उत्तरप्रदेश
6. मन्जू बड़ाछा पत्नी राजेश कुमार जाति जैन निवासी कस्बा निवाई तहसील निवाई टोंक
7. राजूलाल पुत्र मोतीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी झुझारपुरा तहसील निवाई टोंक
8. राजेश्वर यादव पुत्र पुण्डदेव यादव जाति यादव निवासी हाउस नम्बर 326 झन्डापुरा आई.ई. साहिबाबाद गाजियाबाद उत्तरप्रदेश
9. रामस्वरूप पुत्र गोमा जाति गुर्जर निवासी चैनपुरा तहसील निवाई टोंक
10. श्योप्यारी पत्नी मूलचन्द जाति बैरवा निवासी निवाई तहसील निवाई टोंक
11. सयर पत्नी राजूलाल जाति बैरवा निवासी निवाई तहसील निवाई टोंक
12. तहसीलदार निवाई

—अप्रार्थीगण

उपस्थित— श्री कौशल किशोर जाट—अभिभाषक, प्रार्थीया
श्री रवि कुमार जैन— अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 व 9
श्री नरेन्द्र कुमार जाट— अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 10 व 11
पैरोकार सरकार— अप्रार्थी सं0 12

प्रार्थनापत्र—अन्तर्गत धारा 251, 251 (क) राजस्थान टिनेन्सी संशोधित अधिनियम वास्ते कृषि जोत हेतु रास्ता उपलब्ध करवाने बाबत

निर्णय

दिनांक— 15/12/25

प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीया के कब्जेकाश्त की भूमि खाता संख्या 122 में खसरा नम्बर 8/5 रकबा 0.7588 हैक्टे. खसरा नम्बर 8/9 रकबा 0.5059 हैक्ट वाके ग्राम चैनपुरा में प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिस पर आने जाने हेतु मुख्य रास्ता एनएच—12 पर सड़क से खसरा नम्बर 6/1, 6/2, 8/2 जो अप्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है में से होकर स्थित है जिससे प्रार्थीया अपने खेतो पर हल बैलगाड़ी ट्रेक्टर व पैदल आते हुये अपनी भूमि का उपयोग/उपभोग कर रही है। उक्त रास्ता एकमात्र रास्ता है। जिस पर अप्रार्थीगण डोल लगाकर तारबन्दी करके अवरूद्ध करने पर आमादा है। प्रार्थीया ने उक्त रास्ते की जमीन जो उनके खातेदारी में है का नियमानुसार राशि देने को कहा तो रास्ता देने से मना कर दिया इस कारण प्रार्थीया के लिये उक्त कार्यवाही करना ही एकमात्र उपचार शेष रहा इसलिए प्रार्थीया को अपने खातेदारी भूमि पर आने—जाने के लिये अप्रार्थीगण की भूमि में से होकर रास्ता दिया जाना विधिसंगत एवं न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

निवेदन है कि प्रार्थीया के खातेदारी की कृषि भूमि में आने–जाने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 6/1, 6/2, 8/2 से होकर 30 फीट चौड़ा उपलब्ध करवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम किये जाने के आदेश पारित फरमावे। रास्ते के उपयोग उपभोग में बाधा मजाहमत नहीं करने हेतु पावन्द किया जावे।

प्रार्थनापत्र के साथ अधिवक्ता द्वारा फोटो प्रति वर्तमान जमावन्दी वाके ग्राम चैनपुरा खाता नं0 122, 329, 278 410, एवं नक्शा ट्रेस की प्रति खाता संख्या 278, 410, 389, 122 आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 4,5,6,7 व 8 की तामिल जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस जारी किये गये, लेकिन उनकी ओर से कोई उपस्थित नही हुआ । फलस्वरूप अप्रार्थी सं0 4,5,6,7 व 8 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं0 12 पैरोकार सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 10 व 11 को कई अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं किया गया जिससे अप्रार्थी संख्या 10 व 11 का जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 व 9 की ओर से जवाब पेश किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से पेश जवाब में अंकित तथ्ये इस प्रकार है कि प्रार्थीया की भूमि में आने–जाने हेतु अन्य रास्ता विद्यमान है जो सुविधाजनक भी है। अन्य रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण की भूमि में से होकर रास्ता मांगा गया है जो कि विधिसंगत नहीं होने से खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र में खसरा नं0 6/2 व 8/3 में से रास्ता चाहा गया है लेकिन खसरा नं0 6/2 के खातेदार अब्दुल लतीफ पुत्र हसैन खां एवं खसरा नं0 6/2 के खातेदार भंवरलाल पुत्र रामसहाय को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए प्रार्थना–पत्र नॉन ज्योईन्डर ऑफ पार्टीज के बिना पर भारी हर्जे–खर्चे से खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 09 की ओर से पेश जवाब में अंकित तथ्ये इस प्रकार है कि प्रार्थी की भूमि पर जाने का रास्ता वर्तमान में मॉजूद है, प्रार्थी अपनी भूमि पर केवल मात्र सीधा रास्ता लेने के लिये अप्रार्थीगण को नाजायज परेशान करने के उद्धेश्य से अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया वर्तमान में प्रार्थीया की भूमि में आने–जाने का रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद भी अप्रार्थीण की भूमि में से रास्ता चाहा गया है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

इसके पश्चात प्रकरण मे बहस सुनी गई। बहस के दौरान दोनो पक्षो ने अपने अपने कथनो को दोहराया। हमने बहस पर मनन किया एवं प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। तहसीलदार निवाई से प्राप्त रिपोर्ट में प्रार्थीया की भूमि खसरा नम्बर 8/5 वाके ग्राम चैनपुरा में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 6/2, 7/3 व 8/2 वाके ग्राम चैनपुरा में से होकर प्रस्तावित की गई है जो कि 30 फीट की चौड़ाई के दायरे के अन्दर प्रस्तावित की गई है। पैरोकार सरकार ने भी दौराने बहस कथन किया है कि उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीया की भूमि में आने–जाने हेतु सबसे निकटतम रास्ता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 एवं 251 क खेतो के रास्ते खुलवाने तथा निजी सुखाचार का प्रावधान है। इस धारा के अनुसार यदि कोई खातेदार के पास अपनी भूमि मे जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नही होने पर सुखाचार के तहत नजदीकी सरकारी रास्ते से अपनी भूमि की पहुच तक अन्य खातेदारी की भूमि मे से रास्ता प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकता है। प्रस्तुत प्रकरण भी उक्त धारा के परिप्रेक्ष्य अथवा परिधि मे आता है।

अतः उक्त धारा के प्रावधान अनुसार पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार की रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया के पास सबसे निकटतम रास्ता ग्राम चैनपुरा के ख.न. 6/2, 7/3 व 8/2 मे से है पत्रावली पर उपलब्ध मौका पर्चा रिपौर्ट मे पूर्व मे रास्ता चालू होने का अंकन किया गया है। उक्त अधिनियम काश्तकारो के सुखाचार को दृष्टिगत रखते हुए बनाया गया है जिसके तहत प्रार्थिया को प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध कराना, सुखाचार के रूप मे निकटतम मार्ग के तथ्य को पूर्ण करने की श्रेणी मे है। अतः प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थनापत्र राजस्थान अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रावधानो एवं उदेश्य के प्रावधानो की परिधी मे होने एवं न्याय संगत होने की दृष्टि से स्वीकार करने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

आदेश

अतः प्रार्थनापत्र–अन्तर्गत धारा 251, 251 (क) राजस्थान टिनेन्सी संशोधित अधिनियम वास्ते कृषि जोत हेतु रास्ता उपलब्ध करवाने बाबत रिपोर्ट, मौका रिपोर्ट एवं साक्ष्य दस्तावेजो के आलोक मे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निवाई को निर्देशित किया जाता है कि वाके ग्राम चैनपुरा के ख.न. 8/5 में आने जाने के लिए रास्ते हेतु ग्राम चैनपुरा तह निवाई के ख.न. 6/2, 7/3 व 8/2 में से रास्ते हेतु नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित भूमि को डीएलसी दर की दोगुनी जमा राजकोष करवाकर, हिस्से अनुसार संबंधित खातेदारान को सुपुर्द करते हुये जमाबंदी एवं राजस्व नक्शा शीट मे रास्ते के रूप मे अंकन किया जाकर पालना से अवगत करावे।

निर्णय आज **दिनांक** 15/12/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(प्रीति मीणा)
उपखण्ड अधिकारी (टोंक)
उपखण्ड अधिकारी,
निवाई